ऑन लाईन नं. GCMS 2024/04

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 04/2024

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री राहुल गर्ग पुत्र श्री पवन कुमार गर्ग —विक्रेता —
2. श्री पवन कुमार गर्ग पुत्र श्री रामेश्वरदास गर्ग —मालिक—

   मै. रामेश्वरदास पवन कुमार नोहरा नं. 89 पुरानी धानमंडी, श्रीगंगानगर।
3. **मै. मां विद्यावासिनी टोबको प्रा.लि. 133/पी–1/217 ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर, उत्तरप्रदेश।**

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51,52

निर्णय **दिनांक : 20.12.2024**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः–एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांकः– आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.01.2023 को समय दोपहर 02.45 बजे **मै. रामेश्वरदास पवन कुमार नोहरा नं. 89 पुरानी धानमंडी, श्रीगंगानगर** पर पहुंचे। मौके पर विक्रेता श्री राहुल गर्ग पुत्र श्री पवन कुमार (विक्रेता) को अपना परिचय देकर संस्थान में बोरे के अंदर 96–96 ग्राम के पाउच विककय हेतु संस्थान के अंदर रखे खाद्य पदार्थ **पान मसाला(मधू ब्रांड)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का विक्रेता होना बताया तथा संस्थान में बोरे के अंदर रखे 96–96 ग्राम के पाउच खाद्य पदार्थ **पान मसाला(मधू ब्रांड)** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। **पान मसाला(मधू ब्रांड)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **पान मसाला(मधू ब्रांड)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे श्री राहुल गर्ग पुत्र श्री पवन कुमार, विक्रेता एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **पान मसाला(मधू ब्रांड)** 96–96 ग्राम के 20 पाउच को विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **पान मसाला(मधू ब्रांड)** का नगद भुगतान 2560/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और आवेदक के भी हस्ताक्षर है।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **पान मसाला(मधू ब्रांड)** 20 पैकेटों को बांटकर 5–5 मूल पोली पैकेटों को गत्ता बोक्स में पैक कर 4 नमूने तैयार कर उस पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमांक के–1628** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1628** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री राहुल गर्ग पुत्र श्री पवन कुमार (विक्रेता) एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./58/Act/2023/69 Dated 31-01-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1628 Substandard & Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री राहुल गर्ग पुत्र श्री पवन कुमार गर्ग, पवन कुमार गर्ग पुत्र श्री रामेश्वरदास गर्ग** और **मै. मां विद्यावासिनी टोबको प्रा.लि. 133/पी–1/217 ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर,** द्वारा अमानक स्तर **पान मसाला(मधू ब्रांड)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51, 52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 15.01.2024 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने जरिए अधिवक्ता अपने जवाब में कथन किया कि आवेदन पत्र की मद सं. 1 जानकारी व प्रमण के अभाव में अस्वीकार है। आवेदक साक्ष्य से प्रमाणित करें कि उसके द्वारा अंकित कथन सत्य व सही हैं। आवेदन पत्र की मद सं. 2 के वाक्यांत जानकारी एव प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है। आवेदन पत्र की मद सं. 3 के कथन आंशिक स्वीकार है। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना सं. के–1628 लेते समय फार्म नं. 5 ए एवं फर्द रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ के निर्माता का नाम व पता तथा वितरक का नाम व पता आदि कुछ भी अंकित नहीं किया गया है। जबकि एफएसएस के नियमानुसार नमूनीकरण के दौरान फर्द रिपोर्ट व फार्म नं.

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

5ए में उक्त विवरण दिया जाना आवश्यक है। जिससे यह साबित होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लेते समय एफएसएसए के नियमों की पालना नहीं की गई है। न्याय दृष्टांत एफएसी–207, 2014(1) में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में एकरूपता सही प्रकार से नहीं करने पर वाद निरस्त किया गया है। आवेदन पत्र की मद सं. 4 के कथन आंशिक स्वीकार है। मिन जवाबदाता के हस्ताक्षर करवाया जाना स्वीकार है उस प्रपत्र को पढने व सुनाने के संबंध में अंकित कथन मिथ्या व गलत होने के कारण अस्वीकार है। आवेदन पत्र की मद सं. 5 के कथन आंशिक स्वीकार है। एफएसओ द्वारा केश मीमो विभाग द्वार मुद्रित प्रपत्र पर स्वयं बनाकर मिन जवाबदाता के हस्ताक्षर मात्र करावए गए थे, मिनजवाबदाता द्वारा अपनी फर्म का कोई केशमीमो एफएसओ को बनाकर नहीं दिया गया था। नमूनीकरण का कार्य एफएसएसए के नियमानुसार निष्पादित नहीं किया गया। आवेदन पत्र के मद सं. 6 पूर्णतया झूठे, गलत, मिथ्या एवं काल्पनिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण अस्वीकार है। एफएसओ द्वारा नमूना मिन जवाबदाता से लिया गया था, उसके अतिरिक्त मौके पर की गई नमूनीकरण से संबंधित की गई विभागीय कार्यवाही के तथ्या जानकारी एवं प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है। आवेदन पत्र के मद सं.7 के कथन जानकारी एवं प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है। आवेदन पत्र के मद सं. 8 के कथन जानकारी एवं प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है। आवेदन पत्र के मद सं. 9 के कथन जानकारी एवं प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है। आवेदन पत्र के मद सं. 10 के माल खरीद का बिल से संबंधित तथ्य स्वीकार है। शेष तथ्य जानकारी एवं प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है। आवेदन पत्र के मद सं.11, 12 व 13 के कथन जानकारी एवं प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है। आवेदन पत्र के मद सं. 14 के तथ्य निराधार होने के कारण अस्वीकार है। मिन जवाबदाता द्वारा पैकिंग खाद्य पदार्थ जरिए बिल खरी किया गया था। मिन जवाबदाता द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ की खरीद की गई अवस्था में ही विक्रय किया जा रहा था। मिन जवाबदाता द्वारा विधि का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। मिन जवाबदाता धारा 31(2) की श्रेणी का व्यवसायी है, जिसकी शास्ती का प्रावधान धारा 50 में निर्धारित है, न कि धारा 51 व 52 में निर्धारित है। माानीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनांक 19.02.2015 एफएसी 255, 2017(1) में माननीय उच्च न्यायालय ने न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति को क्वेस किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण बैअनवानी सरकार बनाम कुलदीप आवेदन सं. 24/2017 के पारित अपने निर्णय आदेश दिनांक 28.06.2019 में आवेदन पत्र विरूद्ध एफबीओ खारिज किया गया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि उक्त वाद आवेदक द्वारा विधि विरूद्ध तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है एवं एफएसएसए के तहत खाद्य नमूना में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार धारा–3(1)(Zf)(c)(i)के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमान् जी से अनुरोध है कि वाद निरस्त फरमाया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **पान मसाला(मधू ब्रांड)** का सैम्पल **K-1628** जांच रिपोर्ट क्रमांकः– L.S./58/Act/2023/69 Dated 31-01-2023 द्वारा **Substandard & Misbranded-Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 52 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में कथन किया कि FSS Act 2006 के Section 32 खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पालना नहीं

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

की गइ है, जिसके अंतर्गत सूचना का अधिकार द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17.03.2017 के द्वारा सूचना में बेस्ट बिफोर लिखा होने पर क्या मिसब्रांड की परिभाषा में आएगा के जवाब में स्पष्ट लिखा है कि "नही" आयेगा। FSS Authority द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.01.2016 में Section 32 FSS Act के बारे में स्पष्ट लिखा गया है जिसकी पालना अभिहीत अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता के पक्ष में नहीं की गई। जिसका लाभ खाद्यकारोबारकर्ता को नहीं दिया गया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि उक्त वाद आवेदक द्वारा विधि विरूद्ध तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है एवं एफएसएसए के तहत खाद्य नमूना में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार धारा–3(1)(Zf)(c)(i)के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमान् जी से अनुरोध है कि वाद निरस्त फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **Pan Masala(Madhu Brand) bearing code No. K-1628 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not Conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and, Food Addiative) Regulations, 2011 The sample is also Misbranded Food Under section 3(1)(zf)(i) of Food Safety and Standards Act-2006** की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री राहुल गर्ग पुत्र श्री पवन कुमार गर्ग, पवन कुमार गर्ग पुत्र श्री रामेश्वरदास गर्ग** और **मै. मां विद्यावासिनी टोबको प्रा.लि. 133/पी–1/217 ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर,** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री राहुल गर्ग पुत्र श्री पवन कुमार गर्ग, पवन कुमार गर्ग पुत्र श्री रामेश्वरदास गर्ग और मै. मां विद्यावासिनी टोबको प्रा.लि. 133/पी–1/217 ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर,** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ... (राज.)

(रीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर